

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)  
राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 28.09.2024

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या : 57 / 2024

निर्णय दिनांक : 28.09.2024

जीसीएमएस संख्या- 2024 / 121

दायर दिनांक - 28.05.2024

कुनणाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी ग्राम सुरवास तहसील सुजानगढ़

.....प्रार्थी

वनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु

.....अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :-

1. प्रार्थी अधिवक्ता नरेश सींवर उपस्थित।
2. अप्रार्थी परोकार राज उपस्थित।



निर्णय

संक्षिप्त में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी सुरवास का स्थाई निवासी है जिनके रोही सुरवास में खेत खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 168 खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में कुन्दनराम पुत्र मोटाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, आयकर विभाग का पहचान प्रमाण पत्र आदि में कुनणाराम पुत्र मोटाराम दर्ज है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थी का खेत रोही सुरवास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है।

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दस्तोवज्जों में नाम कुनणाराम पुत्र मोटाराम दर्ज है।

अध्यक्ष 28/09/24  
लोक अदालत  
सुजानगढ़

सदस्य  
लोक अदालत  
सुजानगढ़

Basanti  
सदस्य  
लोक अदालत  
सुजानगढ़

कुन्दनराम व कुण्णाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में कुण्णाराम पुत्र मोटाराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, आयकर विभाग का पहचान प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम कुण्णाराम पुत्र मोटाराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

### आदेश

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 168 तादादी 12.4933 हैक्टेयर वाके रोही सुरवास तहसील सुजानगढ़ में दर्ज खातेदार कुन्दनराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी सुरवास खातेदार के स्थान पर कुण्णाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी सुरवास खातेदार दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

28/09/24  
न्यायिक अधिकारी  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़

Basant

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़



पैनल अधिकारी (सदस्य)  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़